कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, वन भवन जयपुर

क्रमांक एफ( ) प्रमुवसं/वसु/06 दिनांक: 7·8·06

निमित्त,

शासन सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

No. D 4170 /Pr.S.P.W.D.
Date 11/8/06

विषय:—वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकास प्रयोजनों हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन ।

महोदय

जैसा कि आपको विदित ही है वन भूमि मे कोई भी विकास कार्य/योजनाऐं बिना वन सरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए याचियों द्वारा प्रारम्भ नही किया जा सकता। वन भूमि में विकास योजनायें /कार्य योजना तभी ली जानी चाहिये जबकि वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो। वन विभाग वैकल्पिक भूमि के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में महत्वपूर्ण/आवश्यक योजनायें/जनहित के कार्यो में अडचन नहीं करता है, अपितु इसमें आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2004—05, 2005—06 एवं 2006—07 में अब तक कमशः 189.6086 हैक्टर, 897.1506 हैक्टर एवं 274.4909 हैक्टर विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी हो चुकी है और इन स्थानों पर विकास कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके है।

इस संबन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस संबन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के तहत यह निर्धारित किया गया हैं कि वन भूमि में गैर वानिकी कार्यो के उपयोग हेतु याचक विभाग निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि के 210 दिन के भीतर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नियमों के तहत भारत सरकार में ऐसे गैर वानिकी कार्यो में आंवटित होने वाली वन भूमि के प्रस्तावों हेतु लगभग 7माह की अवधि निर्धारित कर रखी है, ताकि प्रस्तावों का भली—भाति परीक्षण वन विभाग के विभिन्न स्तरों, मुख्यालय और राज्य सरकार के स्तर पर किया जा सके । अतः इसके लिए आवश्यक है कि वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर्याप्त समय से पूर्व ही वन विभाग में प्रेषित कर दिये जाये। तदापि इसका यह तात्पर्य नहीं समझा जाना चाहिये कि वन विभाग इन प्रस्तावों को उक्त अवधि की आड में अनावश्यक रूप से लंबित रखता है बल्कि वन विभाग का सदैव यह प्रयास रहता है कि यथाशीघ्र ही प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर इन्हें भारत सरकार को भिजवाया जायें फिर भी वनमण्डल स्तर पर मण्डल वन अधिकारी को अनेक अति आवश्यक पूर्तिया/कार्य भी इन प्रस्तावोंके संबंध में संपादित करने होते है, जिनमें समय लगना स्वाभाविक है, इसलिए कई बार इच्छा के बावजूद भी प्रस्तावों में विलम्ब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में यह अति आवश्यक हो जाता है कि याचक विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर्याप्त समय पूर्व ही वन विभाग को भिजवायें जावे एवं प्रस्तावों की पूर्ति में वांछित सहयोग प्रदान किया जावे।

विकास की गति को त्वरान्वित करने के उद्देश्यसे विगत तीन माह में याचक विभागों के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा उनके मनोनित प्रतिनिधियो की वन विभाग के वृतस्तरीय अधिकारियों के साथ वन विभाग के मुख्यालय पर प्रतिमाह एक बैठक रखकर मैं यथासम्भव प्रयास कर रहा हु कि दोनों के अधिक तालमेल से किस प्रकार गतिरोध दूर किया जा कर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तावों का राज्यसरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेज कर वन भूमि का प्रत्यावर्तन कराया जावे एवं मुझे ये बताते हुए हर्ष है, कि इन प्रयासो से विकास सम्बन्धित योजना में चल रहा गतिरोध दूर हो रहा है। अन्य याचक विभागो को सहायता देकर प्रस्ताव बनवाने के उद्देश्य से मे वन संरक्षण प्रभाग में एक "सहायता सैल" का भी गठन करने जा रहा हु। जिससे अनभिज्ञता के कारण अनावश्यक रूप से याचक विभाग को परेशानी का सामना नही करना पडें।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार इस प्रकार की परियोजना में वानिकी एवं गैर वानिकी दोनो प्रकार की भूमि शामिल होती है। कई विभाग गैर वानिकी भूमि में परियोजना के कार्य प्रारम्भ करा देते है और वानिकी भूमि के प्रस्ताव वन विभाग मे प्रेषित करते है, जिसमें वे यह मानते है कि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने पर वन भूमि में कार्य करा लिये जायेगे। इस संबन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका के पैरा 4.4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सुलभ संदर्भ हेतु निम्नांकित रूप से अंकित है :–

4.4 Projects Involving Forest as well as Non-forest Land

Some projects involve use of forest as well as non-forest land. State Government/project authorities sometimes start work on non-forest lands in anticipation of the approval of the Central Government for release of the forest lands required for the projects, Though the provisions of the Act may not have technically been violated by starting of work on non-forest lands, expenditure incurred on works on non-forest lands may proved to be infructuous if diversion of forest land involved is not approved. It has, therefore, been decided that if a project involves forest as well as non forest land, work should not be started on non- forest land till approval of the central Government for release of forest land under the Act has been given.

अतः आपसे मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार की उक्त गाईड लाईन्स को मददेनजर रखते हुए गैर वानिकी भूमि पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जाये जब तक कि परियोजना में सम्मिलित वानिकी भूमि के उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं हो जाये अन्यथा भारत सरकार के द्वारा नियमों का उल्लंघन मानकर दण्डात्मक राशि जमा कराने का निर्देश दे दिया जाता हैं।

इसी प्रकार कई बार यह भी देखने में आया है कि कुछ विभाग बिना वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त किये परियोजना के गैर वानिकी भूमि पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों से उदघाटन करवा देते है परन्तु यदि बाद में भारत सरकार से वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तो उसपर किया गया व्यय निष्फल होने की सम्भावना रहती है, और जनता में

विभिन्न सरकारी विभागों में सामंजस्य नहीं होने का विपरीत संदेश पहुँच सकता है, जिससे राज्य सरकार की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पडने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस स्थिति में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस किसी भी परियोजना में वन भूमि पूर्णतया या आंशिक रूप से शामिल हो, उसकी बजट घोषणा से पूर्व या उनके उदघाटन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परियोजना में सम्मिलित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त हो गई है और ऐसी भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव वन विभाग को बजट घोषणाओं में शामिल कराने से पर्याप्त समय के पूर्व भिजवा दिये जाये ताकि समयबद्ध रूप से प्रत्यावर्तन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने मे कठिनाई नहीं हो एवं किसी भी विभाग को अप्रिय स्थिति का सामना नही करना पड़े।

5/8

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ( ) प्रमुवस/वसु/06 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- उपसचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रेषित कर निवेदन है, कि कृपया अतिविशिष्ठ व्यक्तियों से विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखवाते समय संबंधित विभाग से यह जानकारी करा लेने का कष्ट करें, कि यदि संबंधित परियोजना में वन भूमि सम्मिलित है तो, वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर ली गयी हैं, अथवा नही।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थान, जयपुर
3- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर
4- मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकीविभाग, राजस्थान, जयपुर
5- मुख्य अभियन्ता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
6-मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7-जनरल मैनेजर पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमि0, नई दिल्ली।
8-जनरल मैनेजर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आफ इंडिया लिमि0 नई दिल्ली।
9-सचिव , जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10-.....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर